न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(पी0सी0 बेरवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

(01) प्रार्थना पत्र 14(4) संख्या: 07 / 2014

दायर दिनांक: 05.11.2014

निर्णय दिनांक 26.04.2018

--:अनवान:--

ग्रामवासी दहेडिया, ग्राम पंचायत समेलिया जरिये प्रतिनिधि:-

1-- श्री पन्नालाल पिता विरमलाल सालवी, आयु 71 वर्ष निवासी दहेडिया

2-- श्री किशनलाल पिता भूराराम रेगर आयु 72 वर्ष निवासी दहेडिया

3-- श्री नारायणसिंह पिता सवाईसिंह रावत आयु 55 वर्ष निवासी दहेडिया

4-- श्री किरताराम पिता दल्लाराम रेगर आयु 65 वर्ष निवासी दहेडिया

5-- श्री रामसिंह पिता मिट्ठूसिंह रावत आयु 62 वर्ष निवासी दहेडिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

--:: बनाम ::--

1-- चांदी बेवा स्व. मिट्ठू (वर्तमान पति उदयराम) बलाई आयु 68 वर्ष निवासी सेलमा, तहसील भीम

2-- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द

3-- उपखण्ड अधिकारी भीम जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1970 विरूद्ध मिसल नंबर 506/77 दिनांक 29.10.1977 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीम

उपस्थित:--

1-- श्री अक्षय पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण

2-- श्री सम्पत लढा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

3-- श्री कैलाशचन्द्र बील्या,राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3

(02) प्रार्थना पत्र 14(4) संख्या: 08 / 2014

दायर दिनांक: 05.11.2014

निर्णय दिनांक 26.04.2018

--:अनवान:--

ग्रामवासी दहेडिया, ग्राम पंचायत समेलिया जरिये प्रतिनिधि:--

1-- श्री पन्नालाल पिता विरमलाल सालवी, आयु 71 वर्ष निवासी दहेडिया

2-- श्री किशनलाल पिता भूराराम रेगर आयु 72 वर्ष निवासी दहेडिया

3-- श्री नारायणसिंह पिता सवाईसिंह रावत आयु 55 वर्ष निवासी दहेडिया

4-- श्री किरताराम पिता दल्लाराम रेगर आयु 65 वर्ष निवासी दहेडिया

5-- श्री रामसिंह पिता मिट्ठूसिंह रावत आयु 62 वर्ष निवासी दहेडिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

--:: बनाम ::--

1-- श्री भवरलाल पिता धुला रेगर आयु 80 वर्ष निवासी समेलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

2-- श्री कालूराम पिता देवाराम सालवी आयु वयस्क निवासी शंकरगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

3-- श्री महेन्द्र कुमार पिता देवाराम सालवी आयु वयस्क निवासी मियाला तहसील देवगढ

4-- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द

5-- उप जिलाधीश / उपखण्ड अधिकारी भीम जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1970 विरूद्ध मिसल नंबर 509/77 दिनांक 29.10.1977 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीम

उपस्थित:-

1- श्री अक्षय पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2- श्री भोपालसिंह राव, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1,2 व 3
3- श्री कैलाशचन्द बौल्या,राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 व 5

(03)

प्रार्थना पत्र 14(4) संख्या: 09/2014
दायर दिनांक: 05.11.2014
निर्णय दिनांक 26.04.2018

-:अनवान:-

ग्रामवासी दहेडिया, ग्राम पंचायत समेलिया जरिये प्रतिनिधि:-

1- श्री पन्नालाल पिता बिरमलाल सालवी, आयु 71 वर्ष निवासी दहेडिया
2- श्री किशनलाल पिता भूराराम रेगर आयु 72 वर्ष निवासी दहेडिया
3- श्री नारायणसिंह पिता सवाईसिंह रावत आयु 55 वर्ष निवासी दहेडिया
4- श्री किरताराम पिता दल्लाराम रेगर आयु 65 वर्ष निवासी दहेडिया
5- श्री रामसिंह पिता मिठ्ठूसिंह रावत आयु 62 वर्ष निवासी दहेडिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

-:: बनाम ::-

1- श्री नवलसिंह पिता कल्याण रावत निवासी पालरा मृतक के बजाय वारिस-
   1. श्री हरिसिंह पिता स्व. श्री नवलसिंह रावत आयु 50 वर्ष निवासी पालरा,
   2. लक्ष्मीदेवी पुत्री स्व. श्री नवलसिंह व पत्नि वेणसिंह रावत आयु 45 वर्ष निवासी नेगडिया तहसील टाडगढ जिला अजमेर
   3. रुकमा पुत्री स्व. श्री नवलसिंह व पत्नि भैरूसिंह रावत आयु 42 वर्ष निवासी पालरा, तहसील भीम जिला राजसमन्द
   4. गट्टूदेवी बेवा स्व. श्री नवलसिंह रावत आयु 70 वर्ष निवासी पालरा तहसील भीम जिला राजसमन्द
2- तहसीलदार भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द
3- उपखण्ड अधिकारी भीम जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1970 विरूद्ध मिसल नंबर 508/77 दिनांक 29.10.1977 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीम

उपस्थित:-

1- श्री अक्षय पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2- अप्रार्थी संख्या 1 (i,ii,iii,iv) अनुपस्थित।
3- श्री कैलाशचन्द बौल्या,राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3

(04)

प्रार्थना पत्र 14(4) संख्या: 10/2014
दायर दिनांक: 05.11.2014
निर्णय दिनांक 26.04.2018

-:अनवान:-

ग्रामवासी दहेडिया, ग्राम पंचायत समेलिया जरिये प्रतिनिधि:-

1- श्री पन्नालाल पिता बिरमलाल सालवी, आयु 71 वर्ष निवासी दहेडिया
2- श्री किशनलाल पिता भूराराम रेगर आयु 72 वर्ष निवासी दहेडिया
3- श्री नारायणसिंह पिता सवाईसिंह रावत आयु 55 वर्ष निवासी दहेडिया
4- श्री किरताराम पिता दल्लाराम रेगर आयु 65 वर्ष निवासी दहेडिया
5- श्री रामसिंह पिता मिठ्ठूसिंह रावत आयु 62 वर्ष निवासी दहेडिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

--:: बनाम ::--

1-- धीसा पिता जेता बलाई निवासी दहेडिया मृतक के बजाय वारिस--
1 श्री गिरधारीलाल पिता स्व. धीसा बलाई आयु 50 वर्ष निवासी दहेडिया
2 श्रीमदी उदीदेवी पुत्री स्व. धीसा व पत्नि मांगीलाल बलाई आयु 45 वर्ष निवासी रामपुरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3 श्रीमती डालीदेवी पुत्री स्व. धीसा व पत्नि बाबूलाल बलाई आयु 40 वर्ष निवासी थाणा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
4 श्रीमती तेजीदेवी पुत्री स्व. धीसा व पत्नि धीसूराम बलाई आयु 38 वर्ष निवासी ओडा का बाडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
5 श्रीमती लक्ष्मीदेवी पुत्री स्व. धीसा व पत्नि धन्नाराम बलाई आयु 35 वर्ष निवासी बडलिया की कुडी तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
6 श्रीमती रामुदेवी पुत्री धीसा व पत्नि राजूराम बलाई आयु 32 वर्ष निवासी बलाईयों का कुआ तहसील भीम जिला राजसमन्द
7 अनोपदेवी बेवा स्व. धीसा बलाई आयु 70 वर्ष निवासी दहेडिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

2-- तहसीलदार भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द
3-- उपखण्ड अधिकारी भीम जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू--राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू--आवंटन) नियम 1970 विरुद्ध मिसल नंबर 494/77 दिनांक 29.10.1977 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीम

उपस्थित:--
1-- श्री अक्षय पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2-- श्री दिग्विजयसिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 (i,ii,iii,iv,v,vi,vii)
3-- श्री कैलाशचन्द बौल्या,राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3

(05)

प्रार्थना पत्र 14(4) संख्या: 11/2014
दायर दिनांक: 05.11.2014
निर्णय दिनांक 26.04.2018

--:अनबान:--

ग्रामवासी दहेडिया, ग्राम पंचायत समेलिया जरिये प्रतिनिधि:--
1-- श्री पन्नालाल पिता विरमलाल सालवी, आयु 71 वर्ष निवासी दहेडिया
2-- श्री किशनलाल पिता भूराराम रेगर आयु 72 वर्ष निवासी दहेडिया
3-- श्री नारायणसिंह पिता सवाईसिंह रावत आयु 55 वर्ष निवासी दहेडिया
4-- श्री किरताराम पिता दल्लाराम रेगर आयु 65 वर्ष निवासी दहेडिया
5-- श्री रामसिंह पिता मिट्ठूसिंह रावत आयु 62 वर्ष निवासी दहेडिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

--:: बनाम ::--

1-- नारायण पिता पुना रेगर निवासी समेलिया मृतक के बजाय वारिस--
1 श्री मोहनलाल पिता स्व. नारायणलाल रेगर आयु 50 वर्ष निवासी समेलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द
2 श्री देवाराम पिता लखाराम सालवी आयु 65 वर्ष निवासी भोपा की डोली भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द
3. श्री प्रदीप कुमार पिता मन्नाराम सालवी आयु वयस्क निवासी पाटीया भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द

2-- तहसीलदार भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द
3-- उपखण्ड अधिकारी भीम जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू--राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू--आवंटन) नियम 1970 विरुद्ध मिसल नंबर 944/78 दिनांक 08.08.1978 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीम

उपस्थित:--
1-- श्री अक्षय पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2-- श्री भोपालसिंह राव, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 (i),2 व 3
3-- श्री कैलाशचन्द बौल्या,राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 व 5

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(06)

प्रार्थना पत्र 14(4) संख्या: 12/2014
दायर दिनांक: 05.11.2014
निर्णय दिनांक 26.04.2018
–:अनवान:–

ग्रामवासी दहेडिया, ग्राम पंचायत समेलिया जरिये प्रतिनिधि:–

1– श्री पन्नालाल पिता विरमलाल सालवी, आयु 71 वर्ष निवासी दहेडिया
2– श्री किशनलाल पिता भूराराम रेगर आयु 72 वर्ष निवासी दहेडिया
3– श्री नारायणसिंह पिता सवाईसिंह रावत आयु 55 वर्ष निवासी दहेडिया
4– श्री किरताराम पिता दल्लाराम रेगर आयु 65 वर्ष निवासी दहेडिया
5– श्री रामसिंह पिता मिठ्ठूसिंह रावत आयु 62 वर्ष निवासी दहेडिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1– श्री गंगाराम पिता केशाराम रेगर आयु 60 वर्ष निवासी समेलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द
2– तहसीलदार भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द
3– उपखण्ड अधिकारी भीम जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 विरुद्ध मिसल नंबर 496/77 दिनांक 29.10.1977 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीम

उपस्थित:–

1– श्री अक्षय पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2– श्री भोपालसिंह राव, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
3– श्री कैलाशचन्द बोल्या,राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3

(07)

प्रार्थना पत्र 14(4) संख्या: 13/2014
दायर दिनांक: 05.11.2014
निर्णय दिनांक 26.04.2018
–:अनवान:–

ग्रामवासी दहेडिया, ग्राम पंचायत समेलिया जरिये प्रतिनिधि:–

1– श्री पन्नालाल पिता विरमलाल सालवी, आयु 71 वर्ष निवासी दहेडिया
2– श्री किशनलाल पिता भूराराम रेगर आयु 72 वर्ष निवासी दहेडिया
3– श्री नारायणसिंह पिता सवाईसिंह रावत आयु 55 वर्ष निवासी दहेडिया
4– श्री किरताराम पिता दल्लाराम रेगर आयु 65 वर्ष निवासी दहेडिया
5– श्री रामसिंह पिता मिठ्ठूसिंह रावत आयु 62 वर्ष निवासी दहेडिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1– श्री गोपी पिता गोवर्द्धन रेगर आयु 65 वर्ष निवासी समेलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द
2– श्री महेन्द्र कुमार पिता पन्नाराम सालवी आयु वयस्क निवासी सदारण तहसील भीम जिला राजसमन्द
3– श्री जितेन्द्र कुमार पिता भंवरलाल सालवी आयु वयस्क निवासी सदारण तहसील भीम जिला राजसमन्द
4– तहसीलदार भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द
5– उप जिलाधीश/उपखण्ड अधिकारी भीम जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 विरुद्ध मिसल नंबर 504/77 दिनांक 29.10.1977 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीम

उपस्थित:–

1– श्री अक्षय पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2– अप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित
3– श्री भोपालसिंह राव, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3
4– श्री कैलाशचन्द बोल्या,राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 व 5

(08) प्रार्थना पत्र 14(4) संख्या: 14 / 2014
दायर दिनांक: 05.11.2014
निर्णय दिनांक 26.04.2018
–:अनवान:–

ग्रामवासी दहेडिया, ग्राम पंचायत समेलिया जरिये प्रतिनिधि:–

1– श्री पन्नालाल पिता विरमलाल सालवी, आयु 71 वर्ष निवासी दहेडिया
2– श्री किशनलाल पिता भूराराम रेगर आयु 72 वर्ष निवासी दहेडिया
3– श्री नारायणसिंह पिता सवाईसिंह रावत आयु 55 वर्ष निवासी दहेडिया
4– श्री किरताराम पिता दल्लाराम रेगर आयु 65 वर्ष निवासी दहेडिया
5– श्री रामसिंह पिता मिठ्ठूसिंह रावत आयु 62 वर्ष निवासी दहेडिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1– श्री देवा पिता दुदा बलाई निवासी दहेडिया के वारिसान–
   1. रामु देवी पुत्री स्व. देवा पत्नि मिठ्ठूराम बलाई आयु 42 वर्ष निवासी रामपुरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
   2. वक्तावरी पुत्री स्व. देवा बलाई 35 वर्ष निवासी पीपला तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2– तहसीलदार भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द
3– उपखण्ड अधिकारी भीम जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 विरूद्ध मिसल नंबर 499 / 77 दिनांक 04.10.1977 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीम

उपस्थित:–

1– श्री अक्षय पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2– श्री सम्पत लढा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 (i,ii)
3– श्री कैलाशचन्द्र बौत्या,राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3

(09) प्रार्थना पत्र 14(4) संख्या: 15 / 2014
दायर दिनांक: 05.11.2014
निर्णय दिनांक 26.04.2018
–:अनवान:–

ग्रामवासी दहेडिया, ग्राम पंचायत समेलिया जरिये प्रतिनिधि:–

1– श्री पन्नालाल पिता विरमलाल सालवी, आयु 71 वर्ष निवासी दहेडिया
2– श्री किशनलाल पिता भूराराम रेगर आयु 72 वर्ष निवासी दहेडिया
3– श्री नारायणसिंह पिता सवाईसिंह रावत आयु 55 वर्ष निवासी दहेडिया
4– श्री किरताराम पिता दल्लाराम रेगर आयु 65 वर्ष निवासी दहेडिया
5– श्री रामसिंह पिता मिठ्ठूसिंह रावत आयु 62 वर्ष निवासी दहेडिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1– श्री नेनूराम पिता हजारी बलाई निवासी दहेडिया मृतक के बजाय वारिस–
   1. श्रीमती कमलादेवी पुत्री स्व. नेनूराम व पत्नि भीमाराम बलाई आयु 45 वर्ष निवासी बडी का बाडिया वाया थाणा तहसील मांडल जिला भीलवाडा
2– तहसीलदार भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द
3– उपखण्ड अधिकारी भीम जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 विरूद्ध मिसल नंबर 501 / 77 दिनांक 29.10.1977 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीम

उपस्थित:–

1– श्री अक्षय पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2– श्री भोपालसिंह राव, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 (i)
3– श्री कैलाशचन्द्र बौत्या,राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3

(10) प्रार्थना पत्र 14(4) संख्याः 16 / 2014

दायर दिनांकः 05.11.2014

निर्णय दिनाक 26.04.2018

–:अनवान:–

ग्रामवासी दहेडिया, ग्राम पंचायत समेलिया जरिये प्रतिनिधि:–

1– श्री पन्नालाल पिता विरमलाल सालवी, आयु 71 वर्ष निवासी दहेडिया

2– श्री किशनलाल पिता भूराराम रेगर आयु 72 वर्ष निवासी दहेडिया

3– श्री नारायणसिंह पिता सवाईसिंह रावत आयु 55 वर्ष निवासी दहेडिया

4– श्री किरताराम पिता दल्लाराम रेगर आयु 65 वर्ष निवासी दहेडिया

5– श्री रामसिंह पिता मिटठूसिंह रावत आयु 62 वर्ष निवासी दहेडिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1– श्री रामा पिता चन्ना बलाई निवासी दहेडिया मृतक के बजाय वारिस–

1. श्रीमती गंगा बेवा स्व. रतनलाल व पिता स्व. घीसुराम बलाई आयु 45 वर्ष निवासी रामपुरिया तहसील माडल जिला भीलवाडा

2– तहसीलदार भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द

3– उपखण्ड अधिकारी भीम जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 विरूद्ध मिसल नंबर 500 / 77 दिनांक 29.10.1977 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीम

उपस्थितः–

1– श्री अक्षय पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण

2– अप्रार्थी संख्या 1 (i) अनुपस्थित

3– श्री कैलाशचन्द बोल्या,राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3

(11) प्रार्थना पत्र 14(4) संख्याः 17 / 2014

दायर दिनांकः 05.11.2014

निर्णय दिनाक 26.04.2018

–:अनवान:–

ग्रामवासी दहेडिया, ग्राम पंचायत समेलिया जरिये प्रतिनिधि:–

1– श्री पन्नालाल पिता विरमलाल सालवी, आयु 71 वर्ष निवासी दहेडिया

2– श्री किशनलाज पिता भूराराम रेगर आयु 72 वर्ष निवासी दहेडिया

3– श्री नारायणसिंह पिता सवाईसिंह रावत आयु 55 वर्ष निवासी दहेडिया

4– श्री किरताराम पिता दल्लाराम रेगर आयु 65 वर्ष निवासी दहेडिया

5– श्री रामसिंह पिता मिटठूसिंह रावत आयु 62 वर्ष निवासी दहेडिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1– श्री किशना पिता कालू कालबेलिया नि0 दहेडिया मृतक के बजाय वारिसान–

1. रूकमा पुत्री स्व. किशना कालबेलिया आयु 40 वर्ष निवासी दहेडिया तहसील भीम

2 श्री नैनाराम पिता जीवा खटीक आयु वयस्क निवासी कामलीघाट चौराया देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

3– तहसीलदार भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द

4– उपखण्ड अधिकारी भीम जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 विरूद्ध मिसल नंबर 510 / 77 दिनांक 29.10.1977 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीम

उपस्थितः–

1– श्री अक्षय पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण

2– अप्रार्थी संख्या 1 (i) अनुपस्थित

3– श्री भोपालसिंह राव,अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2

3– श्री कैलाशचन्द बोल्या,राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 व 4

(12) प्रार्थना पत्र 14(4) संख्या: 18/2014
दायर दिनांक: 05.11.2014
निर्णय दिनांक 26.04.2018
–:अनवान:–

ग्रामवासी दहेडिया, ग्राम पंचायत समेलिया जरिये प्रतिनिधि:–

1– श्री पन्नालाल पिता बिरमलाल सालवी, आयु 71 वर्ष निवासी दहेडिया
2– श्री किशनलाल पिता भूराराम रेगर आयु 72 वर्ष निवासी दहेडिया
3– श्री नारायणसिंह पिता सवाईसिंह रावत आयु 55 वर्ष निवासी दहेडिया
4– श्री किरताराम पिता दल्लाराम रेगर आयु 65 वर्ष निवासी दहेडिया
5– श्री रामसिंह पिता मिट्ठूसिंह रावत आयु 62 वर्ष निवासी दहेडिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1– श्री विरदसिंह पिता डुंगरसिंह रावत मृतक के बजाय वारिसान–
   1. श्री मदनसिंह पिता स्व. विरदसिंह रावत आयु 50 वर्ष निवासी पालरा तहसील भीम जिला राजसमन्द
   2. श्री किशनसिंह पिता स्व. विरदसिंह रावत आयु 45 वर्ष निवासी पालरा तहसील भीम जिला राजसमन्द
   3. श्रीमती पन्नुबाई बेवा स्व. विरदसिंह रावत आयु 70 वर्ष निवासी पालरा तहसील भीम जिला राजसमन्द
2– श्री इन्द्रकुमार पिता गंगाराम नारवानी सींधि आयु 40 वर्ष निवासी कामलीघाट चौराहा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3– तहसीलदार भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द
4– उपखण्ड अधिकारी भीम जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 विरूद्ध मिसल नंबर 507/77 दिनांक 29.10.1977 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीम

उपस्थित:–

1– श्री अक्षय पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2– श्री गोपालसिंह राव,अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 (i,ii,iii) व 2
3– श्री कैलाशचन्द्र बील्या,राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 व 4

(13) प्रार्थना पत्र 14(4) संख्या: 19/2014
दायर दिनांक: 05.11.2014
निर्णय दिनांक 26.04.2018
–:अनवान:–

ग्रामवासी दहेडिया, ग्राम पंचायत समेलिया जरिये प्रतिनिधि:–

1– श्री पन्नालाल पिता बिरमलाल सालवी, आयु 71 वर्ष निवासी दहेडिया
2– श्री किशनलाल पिता भूराराम रेगर आयु 72 वर्ष निवासी दहेडिया
3– श्री नारायणसिंह पिता सवाईसिंह रावत आयु 55 वर्ष निवासी दहेडिया
4– श्री किरताराम पिता दल्लाराम रेगर आयु 65 वर्ष निवासी दहेडिया
5– श्री रामसिंह पिता मिट्ठूसिंह रावत आयु 62 वर्ष निवासी दहेडिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1– श्री थमना पिता सुरता रावत निवासी पालरा मृतक के बजाय वारिस–
   1. लाडुदेवी स्व. थमना व पत्नि पन्नासिंह रावत आयु 56 वर्ष निवासी माताजी का बाडिया तीतरी तहसील भीम जिला राजसमन्द
2– श्री महेन्द्र कुमार पिता नारायण लाल भाट आयु 19 वर्ष निवासी सीरमा पोस्ट कोट किराणा वाया बर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3– तहसीलदार भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द
4– उप जिलाधीश/उपखण्ड अधिकारी भीम जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 विरूद्ध मिसल नंबर 492/77 दिनांक 29.10.1977 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीम

उपस्थित:–

1– श्री अक्षय पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण

2– श्री भोपालसिंह राव,अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 (i) व 2

3– श्री कैलाशचन्द बौल्या,राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 व 4

(14) प्रार्थना पत्र 14(4) संख्या: 20/2014

दायर दिनांक: 05.11.2014

निर्णय दिनांक 26.04.2018

–:अनवान:–

ग्रामवासी दहेडिया, ग्राम पंचायत समेलिया जरिये प्रतिनिधि:–

1– श्री पन्नालाल पिता विरमलाल सालवी, आयु 71 वर्ष निवासी दहेडिया

2– श्री किशनलाल पिता भूराराम रेगर आयु 72 वर्ष निवासी दहेडिया

3– श्री नारायणसिंह पिता सवाईसिंह रावत आयु 55 वर्ष निवासी दहेडिया

4– श्री किरताराम पिता दल्लाराम रेगर आयु 65 वर्ष निवासी दहेडिया

5– श्री रामसिंह पिता मिठ्ठूसिंह रावत आयु 62 वर्ष निवासी दहेडिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1– श्री मूला पिता पेमा भाट निवासी पालरा मृतक के बजाय वारिस–

1. श्री गणेश पिता स्व. हजारी भाट आयु 30 वर्ष निवासी पालरा
2. श्री शंकरलाल पिता स्व. हजारी भाट आयु 28 वर्ष निवासी पालरा
3. श्री किशनलाल पिता स्व. हजारी भाट आयु 18 वर्ष निवासी पालरा
4. जमनादेवी बेवा स्व. हजारी भाट आयु 50 वर्ष निवासी पालरा तहसील भीम जिला राजसमन्द

2– श्री जयप्रकाश पिता शांतिलाल भाट आयु 22 वर्ष निवासी पीपलाज का चौडा दिवेर तहसील भीम जिला राजसमन्द

3– तहसीलदार भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द

4– उप जिलाधीश / उपखण्ड अधिकारी भीम जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 विरूद्ध मिसल नंबर 495/77 दिनांक 29.10.1977 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीम

उपस्थित:–

1– श्री अक्षय पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण

2– श्री भोपालसिंह राव,अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 (i,ii,iii,iv) व 2

3– श्री कैलाशचन्द बौल्या,राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 व 4

(15) प्रार्थना पत्र 14(4) संख्या: 22/2014

दायर दिनांक: 08.12.2014

निर्णय दिनांक 26.04.2018

–:अनवान:–

ग्रामवासी दहेडिया, ग्राम पंचायत समेलिया जरिये प्रतिनिधि:–

1– श्री पन्नालाल पिता विरमलाल सालवी, आयु 71 वर्ष निवासी दहेडिया

2– श्री किशनलाल पिता भूराराम रेगर आयु 72 वर्ष निवासी दहेडिया

3– श्री नारायणसिंह पिता सवाईसिंह रावत आयु 55 वर्ष निवासी दहेडिया

4– श्री किरताराम पिता दल्लाराम रेगर आयु 65 वर्ष निवासी दहेडिया

5– श्री रामसिंह पिता मिठ्ठूसिंह रावत आयु 62 वर्ष निवासी दहेडिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1– श्री शंकरलाल पिता धुनाराम रेगर, आयु 63 वर्ष निवासी समेलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

2– तहसीलदार भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द

3– उपखण्ड अधिकारी भीम जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 विरूद्ध मिसल नंबर 497/77 दिनांक 29.10.1977 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीम

उपस्थित:–

1– श्री अक्षय पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण

2– अप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित

3– श्री कैलाशचन्द्र बोल्या,राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3

(16) **प्रार्थना पत्र 14(4) संख्या: 23/2014**

दायर दिनांक: 08.12.2014

निर्णय दिनांक 26.04.2018

–:अनवान:–

ग्रामवासी दहेडिया, ग्राम पंचायत समेलिया जरिये प्रतिनिधि:–

1– श्री पन्नालाल पिता विरमलाल सालवी, आयु 71 वर्ष निवासी दहेडिया

2– श्री किशनलाल पिता भूराराम रेगर आयु 72 वर्ष निवासी दहेडिया

3– श्री नारायणसिंह पिता सवाईसिंह रावत आयु 55 वर्ष निवासी दहेडिया

4– श्री हिरालाल पिता देवाराम सालवी आयु 65 वर्ष निवासी दहेडिया

5– श्री किस्ताराम पिता दल्लाराम रेगर आयु 65 वर्ष निवासी दहेडिया

6– श्री रामसिंह पिता मिठ्ठूसिंह रावत आयु 62 वर्ष निवासी दहेडिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1– श्री जोधा पिता गोमा बागरिया निवासी पालरा मृतक के बजाय वारिसान–

1 श्री पेमा पिता जोधा बागरिया आयु 35 वर्ष निवासी पालरा तहसील भीम

2 संतोष पत्नि तुलछा बागरिया आयु 40 वर्ष निवासी पालरा तहसील भीम जिला राजसमन्द

2– तहसीलदार भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द

3– उपखण्ड अधिकारी भीम जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 विरूद्ध मिसल नंबर 498/77 दिनांक 04.10.1977 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीम

उपस्थित:–

1– श्री अक्षय पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण

2– अप्रार्थी संख्या 1 (i,ii) अनुपस्थित

3– श्री कैलाशचन्द्र बोल्या,राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3

(17) **प्रार्थना पत्र 14(4) संख्या: 24/2014**

दायर दिनांक: 08.12.2014

निर्णय दिनांक 26.04.2018

–:अनवान:–

ग्रामवासी दहेडिया, ग्राम पंचायत समेलिया जरिये प्रतिनिधि:–

1– श्री पन्नालाल पिता विरमलाल सालवी, आयु 71 वर्ष निवासी दहेडिया

2– श्री किशनलाल पिता भूराराम रेगर आयु 72 वर्ष निवासी दहेडिया

श्री नारायणसिंह पिता सवाईसिंह रावत आयु 55 वर्ष निवासी दहेडिया

श्री किस्ताराम पिता दल्लाराम रेगर आयु 65 वर्ष निवासी दहेडिया

श्री रामसिंह पिता मिठ्ठूसिंह रावत आयु 62 वर्ष निवासी दहेडिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1– श्री राजू पिता लाला रावत निवासी चान्दोता का बाडिया मृतक के बजाय वारिस–

1 श्री गणपत सिंह मुतबन्ना स्व. राजू रावत आयु 31 वर्ष निवासी चान्दोता का बाडिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

2– श्री महेन्द्र कुमार पिता नारायणलाल भाट आयु वयस्क निवासी सीरमा पोस्ट कोट किराणा वाया बर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

3– तहसीलदार भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द

4– उप जिलाधीश/उपखण्ड अधिकारी भीम जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि पयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970
विरुद्ध मिसल नंबर /77 दिनांक 31.10.1977 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीम

उपस्थितः–

1– श्री अक्षय पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2– अप्रार्थी संख्या 1 (i) अनुपस्थित
2– श्री भोपालसिंह राव,अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2
3– श्री कैलाशचन्द्र बैल्या,राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 व 4

निर्णय

उक्त प्रकरण संख्या 07/2014 से लगायत 20/2014 एवं 22/2014 से 24/2014 तक
कुल 17 प्रकरण राजस्व ग्राम दहेडिया पटवार हल्का समेलिया तहसील भीम की मूल आराजी
संख्या 22 एवं 64 मे से विभिन्न व्यक्तियों को आवंटित कृषि भूमि के आवंटन को निरस्त करवाने
हेतु प्रस्तुत किये गये है। उक्त समस्त प्रकरण एक ही राजस्व ग्राम के है एवं सभी प्रकरणों मे
विचारणीय कानूनन एवं तथ्यात्मक बिन्दु भी एक समान है इसलिए उक्त समस्त प्रकरणों का निर्णय
एक साथ पारित किया जा रहा है।

उक्त प्रकरणों मे प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान
भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व
ग्राम दहेडिया पटवार हल्का समेलिया तहसील भीम की सीमा में मूल आराजी नं0 22 रकबा 160
बीघा एवं आराजी नं0 64 रकबा 51 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है। यह भूमि बिलानाम गैर काबिल
काश्त, गैर मुमकीन पहाड भूमि थी। इन दोनो आराजीयात की भूमि ग्राम पंचायत समेलिया की
सीमा मे आने वाले ग्राम दहेडिया, पालरा एवं समेलिया के व्यक्तियों को उपखण्ड अधिकारी भीम
द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी जिससे ग्रामवासी दुखी एवं पीडीत है। ग्रामवासीयों की
संख्या काफी अधिक है सभी के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं है। जिससे
प्रार्थीगण ग्रामवासियों के प्रतिनिधि के तौर पर सभी के हितो को सरंक्षित करने के लिए उक्त
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। प्रार्थीगण की ओर से प्रतिनिधि के तौर पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने
की अनुमति प्रदान करने बाबत अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रार्थीगण को
अनुमति प्रदान की गयी है।

प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र मे उक्त प्रकरणो मे कृषि प्रयोजनार्थ किये गये भू–आवंटन को
मुख्य रूप से इन आधारों पर चुनौति दी है कि उक्त भू–आवंटन मौके पर बने तालाब एवं केचमेन्ट
एरिया की भूमि का कर दिया गया है। इस भूमि के मौके की स्थिति ऐसी है कि इस भूमि को कृषि
प्रयोजनार्थ या अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए आवंटित की ही नही जा सकती । मूल आराजी नं0
62 व 64 पर एक एनिकट ग्राम पंचायत समेलिया द्वारा तथा एक तालाब सिंचाई विभाग का बना
हुआ है। यह एनिकट एवं तालाब काफी वर्षो पुराना होकर भूमि आवंटन के समय से पहले के बने
हुए है। इस भूमि मे ग्रामवासियों की पेयजल के लिए पुरानी कुई भी बनी हुई है। उपरोक्त दोनो ही
भूमियो का रकबा तालाब एनिकट एवं उसके आस–पास के केचमेन्ट एरिया का है। इस तालाब
एनिकट एवं इसके आस–पास पडी भूमि पर ग्राम के पशु चरते है एवं इस तालाब एवं एनिकट मे
गांव के मवेशी पानी पिते है। मौके की स्थिति के अनुसार यह भूमि किसी प्रकार आवंटन के योग्य
नही थी। इस भूमि पर आवंटन के पश्चात आवंटित व्यक्तियों का कभी कब्जा नहीं रहा न ही
उन्होंने आवंटन शर्तो की पालना मे इस भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त किया है। आवंटन आदेश
की शर्त संख्या 03 अनुसार आवंटित भूमि के 50 प्रतिशत रकबे में आवंटन के वर्ष मे ही काश्त
करनी थी एवं शेष रकबे मे भी दूसरे वर्ष मे काश्त करनी थी अर्थात दो वर्ष के भीतर पुरी भूमि पर
काश्त करनी थी लेकिन आवंटि व्यक्तियो ने आवंटित भूमि में दो वर्षो मे ही नही वरन आवंटन के
30 वर्षो तक भी कोई काश्त नही की है। क्योकि जो भूमि आवंटित की गयी है वह भूमि तालाब
एनिकट एवं केचमेन्ट का भाग है तथा शेष बची भूमि ऊबड–खाबड एवं पथरीली चट्टाननुमा है।
जो आज भी मौके पर उसी हालत मे मौजूद है। आवंटि व्यक्तियों ने भूमि पर न तो कब्जा काश्त
किया न ही उपयोग उपभोग किया है। यह भूमि नवीन स्वीकृत हुए गुलाबपुरा भीलवाडा हाईवे के
पास आ जाने से कुछ भू–माफिया एवं राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों की नजर मे आ
गयी जिससे यह लोग इस भूमि को हडपना चाहते है जिससे इन्होने आवंटि व्यक्तियो से सम्पर्क
कर स्थानीय राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर जिस भूमि पर काश्त हुई ही नही है। न ही
मौके पर काश्त करने के कोई अलामात है। उस भूमि के संबंध मे पटवारी से मिलकर फर्जी तरीके
से खसरा गिरदावरी मे हाल ही के वर्षो मे फसल दर्ज करवा दी, यह ही नहीं कुछ व्यक्तियों ने तो
मिलीभगत कर भूमि गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दर्ज करवा दी है। राजस्व रेकार्ड में अन्य
आवंटि व्यक्तियों की भूमि गैर खातेदारी हक से दर्ज है। राजस्व रेकार्ड मे यह भूमि खातेदारी मे
दर्ज होते ही कुछ आवंटि व्यक्तियों ने भूमि विक्रय कर दी एवं विक्रेता अब तालाब, एनिकट एवं

कैचमेन्ट एरिये की भूमि पर कब्जा करने को आमादा है। ग्रामवासियो द्वारा तालाब पर मवेशीयों को पानी पिलाने के लिये ले जाया जाता है। और आस-पास की भूमि पर मवेशी चरते है जिसके बारे मे विपक्षीगण एवं भूमि के क्रेताओ ने ग्रामवासियो का इस भूमि पर नहीं आने को कहा वह उन्हे बताया कि यह भूमि उन्होने खरीद ली है तथा सभी आवंटि व्यक्तियो की भूमि को मिलाकर टाउन शीप बनाई जायेगी। जिस पर ग्रामवासियो ने तहसील कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर इस भूमि के संबध मे सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किये जिस पर विपक्षीगण को किये गये आवंटन की जानकारी ग्रामवासियों को हुयी। और जानकारी होते ही आवंटन को चुनौति देने बाबत उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है। आक्षेपित आवंटन धोखाधडी पूर्ण एवं कपटपूर्ण किया गया है जो भूमि मौके पर तालाब एनिकट एवं कैचमेन्ट एरिया के रूप मे स्थित है। तथा जिसका सार्वजनिक उपयोग हो रहा है। उस भूमि का आवंटन नही किया जा सकता है केवल मात्र राजस्व रेकार्ड मे यह भूमि तालाब एवं एनिकट के रूप मे दर्ज नही होने से तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने यह आवंटन कर दिया है एवं इस आवंटन के पश्चात जो गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये गये है उसमे भी राजस्व कर्मचारियों ने जबरदस्त फर्जीवाडा किया है। आवंटित भूमि का मौका निरीक्षण किसी स्वतंत्र राजस्व अधिकारी से करवाया जावे तो वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष आ जायेगी। मूल आराजी नं0 64 व 22 से जितनी भूमि आवंटित की गयी है उसमे से किसी भी भूमि पर न तो कोई थौर बाड है न ही किसी आवंटि का कोई सीमा चिन्ह तक है। जिस भूमि मे शुरू से पशु चरते आए है। एवं वर्तमान मे भी पशु चरते है तथा पानी भरा हुआ है। उसमें फसल काश्त होना दर्शाकर गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दे दिये गये है। आक्षेपित आवंटन के अस्तित्व मे रहने से मौके पर मोजूद तालाब एवं एनिकट का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा एवं इस तालाब के आस-पास कैचमेन्ट एरिया की भूमि जिस पर गावो वालो के मवेशी चरते है। उस भूमि पर भू-माफिया कब्जा कर ग्रामवासियों को उपयोग से वंचित कर देंगे। उक्त वर्णित समस्त आधारों पर प्रार्थीगण ने आवंटन निरस्त करने की प्रार्थना की है।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्रो को दर्ज रजिस्टर किया जाकर संबंधित विपक्षीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा उपखण्ड अधिकारी,भीम से सभी प्रकरणों की आवंटन पत्रावलिया तलब की गयी। विपक्षीगण की ओर से अलग-अलग जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया एवं मुख्य रूप से सभी विपक्षीगण द्वारा यह प्रतिरक्षा ली गयी कि विपक्षीगण को भूमि आवंटित किये जाने के समय मौके पर कोई तालाब या एनिकट विधमान नही था मौके पर जो तालाब एवं एनिकट है उनका निर्माण विपक्षीगण को भूमि आवंटित किये जाने के पश्चात् किया गया है। राजस्व रेकार्ड मे भी उक्त भूमियों की किस्म कभी भी तालाब या एनिकट नहीं रही हैं। भूमि आवंटन के समय विपक्षीगण भूमि आवंटन करवाने हेतु पात्र थे और उन्हें विधि अनुसार प्रकिया का पालन कर आवंटन किया गया हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं।

उक्त प्रकरणो मे तहसीलदार,भीम द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि भूमि आवंटन के समय मौके पर तालाब एवं एनिकट नही थे। उक्त तालाब एवं एनिकट का निर्माण भूमि आवंटन के पश्चात किया गया हैं। विपक्षीगण को आवंटित भूमि कैचमेंट एरिया से प्रभावित भूमि नहीं हैं। विपक्षीगण को भूमि आवंटित कर भूमि का कब्जा सिपुर्द कर दिया गया था जिसकी पुष्टि आवंटन पत्रावलियों मे उपलब्ध कब्जा सिपुर्दगीनामा से होती हैं।

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए बताया कि राजस्व ग्राम दहेडिया पटवार हल्का समेलिया तहसील भीम की सीमा में मूल आराजी नं0 22 रकबा 160 बीघा एवं आराजी नं0 64 रकबा 51 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है। यह भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त, गैर मुमकीन पहाड भूमि थी। इन दोनो आराजीयात की भूमि ग्राम पंचायत समेलिया की सीमा मे आने वाले ग्राम दहेडिया, पालरा एवं [illegible] के व्यक्तियो को उपखण्ड अधिकारी भीम द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी। उक्त भू-आवंटन मौके पर बने तालाब एवं कैचमेन्ट एरिया की भूमि का कर दिया गया है। इस भूमि के मौके की स्थिति ऐसी है कि इस भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ या अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए आवंटित की ही नही जा सकती। मूल आराजी नं0 62 व 64 पर एक एनिकट ग्राम पंचायत समेलिया द्वारा तथा एक तालाब सिंचाई विभाग का बना हुआ है। यह एनिकट एवं तालाब काफी वर्षो पुराना होकर भूमि आवंटन के समय से पहले के बने हुए है। इस भूमि में ग्रामवासियों की पेयजल के लिए पुरानी कुई भी बनी हुई है। उपरोक्त दोनो ही भूमियों का रकबा तालाब एनिकट एवं उसके आस-पास के कैचमेन्ट एरिया का है। इस तालाब एनिकट एवं इसके आस-पास पडी भूमि पर ग्राम के पशु चरते है एवं इस तालाब एवं एनिकट मे गांव के मवेशी पानी पिते हैं। मौके की स्थिति के अनुसार यह भूमि किसी प्रकार आवंटन के योग्य नही थी। इस भूमि पर आवंटन के पश्चात आवंटित व्यक्तियों का कभी कब्जा नहीं रहा न ही उन्होने आवंटन शर्तो की पालना मे इस भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त किया है। आवंटन आदेश की शर्त संख्या 03 अनुसार आवंटित भूमि

के 50 प्रतिशत रकबे में आवंटन के वर्ष मे ही काश्त करनी थी एवं शेष रकबे मे भी दूसरे वर्ष में
काश्त करनी थी अर्थात दो वर्ष के भीतर पुरी भूमि पर काश्त करनी थी लेकिन आवंटि व्यक्तियों ने
आंवटित भूमि मे दो वर्षो मे ही नही वरन आवंटन के 30 वर्षो तक भी कोई काश्त नही की है।
क्योंकि जो भूमि आवटित की गयी है वह भूमि तालाब एनिकट एवं केचमेन्ट का भाग है तथा शेष
बची भूमि ऊबड–खाबड एवं पथरीली चट्टाननुमा है। जो आज भी मौके पर उसी हालत मे मौजूद
है। आवंटि व्यक्तियों ने भूमि पर न तो कब्जा काश्त किया न ही उपयोग उपभोग किया है। यह
भूमि नवीन स्वीकृत हुए गुलाबपुरा भीलवाडा हाईवे के पास आ जाने से कुछ भू–माफिया एवं
राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों की नजर मे आ गयी जिससे यह लोग इस भूमि को
हडपना चाहते है। पटवारी से मिलकर फर्जी तरीके से खसरा गिरदावरी में हाल ही के वर्षो में
फसल दर्ज करवा दी, यह ही नही कुछ व्यक्तियों ने तो मिलीभगत कर भूमि गैर खातेदारी से
खातेदारी अधिकार दर्ज करवा दी है। राजस्व रेकार्ड मे अन्य आवंटि व्यक्तियों की भूमि गैर
खातेदारी हक से दर्ज है। राजस्व रेकार्ड मे यह भूमि खातेदारी मे दर्ज होते ही कुछ आवंटि
व्यक्तियों ने भूमि विक्रय कर दी एवं विक्रेता अब तालाब, एनिकट एवं केचमेन्ट एरिये की भूमि पर
कब्जा करने को आमादा है। आक्षेपित आवटन धोखाधडी पूर्ण एवं कपटपूर्ण किया गया है जो भूमि
मौके पर तालाब एनिकट एवं केचमेन्ट एरिया के रूप मे स्थित है। तथा जिसका सार्वजनिक
उपयोग हो रहा है। उस भूमि का आवंटन नही किया जा सकता है केवल मात्र राजस्व रेकार्ड मे
यह भूमि तालाब एवं एनिकट के रूप में दर्ज नही होने से तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने यह
आवंटन कर दिया है एवं इस आवंटन के पश्चात जो गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये गये
है उसमे भी राजस्व कर्मचारियों ने जबरदस्त फर्जीवाडा किया है। मूल आराजी नं० 64 व 22 से
जितनी भूमि आवंटित की गयी है उसमे से किसी भी भूमि पर न तो कोई थौर बाड है न ही किसी
आवंटि का कोई सीमा चिन्ह तक है। जिस भूमि मे शुरू से पशु चरते आए है। एवं वर्तमान मे भी
पशु चरते है तथा पानी भरा हुआ है। उसमे फसल काश्त होना दर्शाकर गैर खातेदारी से खातेदारी
अधिकार दे दिये गये है। आक्षेपित आवंटन के अस्तित्व मे रहने से मौके पर मौजूद तालाब एवं
एनिकट का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा एवं इस तालाब के आस–पास केचमेन्ट एरिया की भूमि
जिस पर गाव वालो के मवेशी चरते है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस में यह भी बताया कि
विपक्षीगण को आवंटित की गयी भूमि बिलानाम गैर मुमकीन पहाड किस्म की भूमि थी और
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 मे ओरण पायतन,पहाड व केचमेंट एरिया की
भूमियो का आवंटन प्रतिबंधित है। ऐसी भूमियो का आवंटन नही किया जा सकता है। ऐसे किये
गये आवंटन को भले ही काफी लम्बा अर्सा हो गया हो ऐसा किया गया आवंटन खारिज किये जाने
योग्य होने से माननीय न्यायालयों द्वारा उसे खारिज किया गया हैं। इस कथन के समर्थन में
अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से न्यायिक उद्धरण 1998 0 डी०एन०जे० 603,1998 0 सुप्रीम (राज0)
1025 एवं आर०आर०टी० 2015(2) पेज 790 को पेश किया गया। अंत में प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने
बहस में बताया कि विपक्षीगणों को किया गया आवंटन नियमानुकूल नहीं हैं और आवंटनों को
निरस्त नहीं किया गया तो उक्त भूमि पर भू–माफिया कब्जा कर ग्रामवासियों को उपयोग से वंचित
कर देंगे। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्रो को स्वीकार कर विपक्षीगण द्वारा फर्जी तरिके से करवाये
गये उक्त आवंटनो को निरस्त कराना फरमावें।

सभी विपक्षीगण की ओर से बहस मे मुख्य रुप से यह बताया गया कि प्रार्थीगण ने मिथ्या
आधारो पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्रों में आवंटन निरस्तीकरण हेतु
आधार बताये हैं उनकी राजस्व दस्तावेजो से पुष्टि नहीं होती हैं एवं प्रार्थीगण ने राजस्व रेकार्ड के
विपरित जाकर कथन किये हैं और प्रार्थना पत्र मे वर्णित आधारो की पुष्टि करने हेतु कोई दस्तावेज
पेश नहीं किया गया हैं, जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनसे प्रार्थना पत्र मे वर्णित आधारो की
पुष्टि नहीं होती हैं। प्रार्थीगण की ओर से किये गये कथन कि आवंटन के प्रथम वर्ष में आवंटित
भूमि के 50 प्रतिशत भाग को काश्त करना तथा दूसरे वर्ष मे शेष 50 प्रतिशत भाग पर काश्त किया
जाना आवंटन आदेश की शर्त संख्या 3 के अनुसार आवश्यक था जिसकी पालना विपक्षीगण द्वारा
नहीं की गयी के प्रतिकथन में यह बताया कि विपक्षीगण द्वारा आवंटन आदेश की पालना की गयी
हैं। प्रार्थीगण की ओर से मात्र इस आशय का कथन किया गया किन्तु काश्त नहीं किये जाने के
बारे मे पुष्टि का राजस्व दस्तावेजी अभिलेख खसरा गिरदावरी होता हैं जो इनके द्वारा पेश ही नहीं
किया गया। इसी के साथ तालाब एवं एनिकट की आड ली गयी कि इन दोनों का आवंटन के पूर्व
ही अस्तित्व मे रहते हुए केचमेंट एरिया मे आवंटन किया गया जबकि प्रार्थीगण की ओर से ऐसा
कोई अभिलेख पेश नहीं किया गया जिससे वक्त आवंटन अथवा इसके पूर्व तालाब व एनिकट का
निर्माण होकर अस्तित्व मे हो, जबकि विपक्षीगण अन्त्योदय परिवार के सदस्य होकर भूमिहीन व्यक्ति
थे और आवंटन की पात्रता रखते थे, इसकी पुष्टि आवंटन पत्रावलियों में हल्का पटवारी द्वारा की
गयी रिपोर्ट से स्पष्ट है तथा उक्त रिपोर्ट मे यह कहीं पर भी उल्लेखित नहीं किया गया कि
आवंटित भूमि की किस्म गैर मुमकीन पहाड रही हो और न ही प्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई

राजस्व अभिलेख पेश किया गया। विपक्षीगण आवंटन में पात्रता रखते थे इसी कारण इन्हें भूमि का आवंटन किया गया है जो नियमानुसार है। अंत में विपक्षीगण की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त कराना फरमावें।

पैरोकार सरकार की ओर से बहस में बताया गया कि उक्त प्रकरणों में भूमि आवंटन के समय मौके पर तालाब एवं एनिकट विद्यमान होने की राजस्व रेकार्ड से कोई पुष्टि नही होती है। वर्तमान में आवंटित भूमि के पास तालाब एवं एनिकट स्थित है किन्तु आवंटित भू-भाग उक्त तालाब के केचमेंट एरिया से प्रभावित नहीं है। आवटन की कार्यवाही के पश्चात प्रश्नगत भूमि के पास एनिकट का निर्माण किया गया। आवंटित भूमि पर आवंटियों का ही कब्जा है, जिसकी पुष्टि आवंटन पत्रावली में मौजूद कब्जा सिपुर्दगीनामा से होती है। विपक्षीगण को किया गया आवंटन नियमानुसार होकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्षों की बहस पर गहन मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का तथा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों का अवलोकन किया गया एवं आवंटन पत्रावलियो का भी अवलोकन किया गया। पत्रावली पर दस्तावेजो एवं आवंटन पत्रावली के अवलोकन से निर्विवादित रुप से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि उक्त प्रकरणों में भूमि आवंटन किये जाने के समय मौके पर कोई तालाब एवं एनिकट निर्मित नही थे और राजस्व रेकार्ड में भी ऐसा कोई अंकन नही है। प्रार्थीगण की ओर से भी राजस्व रेकार्ड के अलावा भी ऐसा कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि प्रश्नगत भूमि में निर्मित तालाब एवं एनिकट का निर्माण विपक्षीगण को भूमिया आवंटित किये जाने के पूर्व किया गया हो। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि प्रश्नगत भूमि आवंटन योग्य नही हो। तहसीलदार, भीम के द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी तालाब एवं एनिकट का निर्माण आवंटन के पश्चात होना बताया गया साथ ही यह भी बताया कि विपक्षीगण को आवंटित भूमि से तालाब एवं एनिकट का केचमेंट एरिया प्रभावित नही होता है।

जहाँ तक विपक्षीगण द्वारा आवंटन के दो वर्ष में आवंटित भूमि के सम्पूर्ण भू-भाग पर काश्त नही किये जाने का उजर है,उसके सम्बंध में प्रार्थीगण द्वारा खसरा गिरदावरी की नकले पुष्टि हेतु प्रस्तुत ही नहीं की गयी है। खसरा गिरदावरी के अभाव में प्रार्थीगण के उक्त उजर को स्वीकार नही किया जा सकता है कि विपक्षीगण द्वारा भूमि आवंटन के दो वर्ष में आवंटित भूमि के सम्पूर्ण भाग पर काश्त नहीं की गयी हो।

आवटन पत्रावलियो के अवलोकन से प्रकट होता है कि हल्का पटवारी द्वारा की गयी रिपोर्ट में वक्त आवंटन मौके पर तालाब एवं एनिकट निर्मित हो ऐसा कोई तथ्य रिपोर्ट में अंकित नही है साथ ही हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित किया गया कि जो भूमि आवंटित की जानी है वह सार्वजनिक उपयोग में नहीं है। आवंटि/ विपक्षीगण का भूमिहीन होकर आवंटन हेतु पात्र होना अंकित किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा आबंटन निरस्त कराने हेतु जो आधार प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में बताये गये है,उनकी पुष्टि करने में प्रार्थीगण असफल रहे हैं और आवंटन पत्रावलियों के अवलोकन से विपक्षीगण को किया गया आवटन नियम विरुद्ध होना प्रकट नहीं होता है। विपक्षीगण को किये गये आवंटनों में से एक आवंटन वर्ष 1978 का है एवं अन्य सभी आवंटन वर्ष 1977 के है। परन्तु लगभग 37 वर्ष की अवधि में किसी ग्रामवासी द्वारा उक्त आवंटनों के सम्बंध में कभी कोई आपत्ति की गयी हो ऐसा कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण इन मामलों में प्रभावशील नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत प्रकरणों में भूमिहीन एवं अन्त्योदय परिवार के पात्र व्यक्तियों को प्रश्नगत भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ किया गया भू-आवंटन न्यायसंगत होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होना पाया जाता है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति प्रत्येक प्रार्थना पत्र प्रकरण में संलग्न की जावें।

(पी0सी0बेरवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 26.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0सी0बेरवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद